न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 234/09 (वाद)
GCMS No. : 2009/00162

1. श्री रामसिंह पिता भेरूसिंह जाति राजपुत निवासी बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर।

............वादी

बनाम्

1. श्री मानसिंह मुतबन्ना लक्ष्मणसिंह जाति राजपुत निवासी बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. मु. गेन्दकुंवर पत्नी स्वर्गीय भेरूसिंह जाति राजपुत निवासी बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर।
3. श्री रूगनाथसिंह पिता झुंझारसिंह जाति राजपुत निवासी बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री दिनेश पालीवाल, अधिवक्ता प्रतिवावदी संख्या 1।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं काउण्टर वाद

निर्णय

दिनांक : 28.08.2025

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बोयणा पटवार हल्का बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1002 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/2 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई लेना देना नही है। लेकिन फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम अंकित 1/2 हिस्सा कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर रहा है।
2. निवेदन किया की वादी वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार होने से वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करवाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है। अंत में निवेदन किया की उक्त वर्णित कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 के मध्य हिस्से [illegible] के अनुसार बंटवाड़ा करवाया जावे व उक्त कृषि भूमि स्वतंत्र खातेदारी हक से [illegible] करायी जाकर लगान का बरफाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:45 IST
Reason: SelfAttested

कराया जावे। वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे की प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वर्णित कृषि भूमि जो वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के 1/2 हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग में है , प्रतिवादी संख्या 1 वादी के हिस्से व कब्जे काश्त की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, न अनाधिकार प्रवेश करे तथा न ही वादी को उक्त कृषि भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल ही करे, न जबरन कब्जा करे, तथा वादी को शान्तिपूर्वक उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने देवे।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2, 3 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 वादी के कथनो को अस्वीकार करते हुए जवाब मय काउण्टर वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त वर्णित आराजीयात आज से करीब 24 वर्ष पूर्व प्रतिवादी के एवं वादी के प्राकृतिक पिता भैरूसिंह जी एवं रघुनाथ सिंह जी ने संयुक्त रूप ते रतन सिंह, मनोहर सिंह, डूंगर सिंह पिता गोल सिंह राव से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदकर कब्जा प्राप्त किया वक्त खरीद शुदा राशि में से 1/2 हिस्सा मानसिंह जी उत्तरदाता एवं उसके पिता भेरूसिंह ने आधी राशि विक्रेतागण को दी एवं कर्ता खानदान होने के नाते अपने प्राकृतिक पिता भेरूसिंह जी के नाम पर विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया। उक्त स्थान पर प्रतिवादी का 20 वर्षो से कब्जा है। अंत में निवेदन किया की वादी का वाद सव्यय वारिज फरमाया जाये।

4. **काउण्टर वाद** प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रतिवादी उत्तरदाता मानसिंह विवादग्रस्त आराजीयात पर 1/4 हिस्से पर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है, कच्चे केलूपोश मकान बना रखे है। अपने मवेशी बांधता है। प्रतिवादी का 20 वर्षो से लगातार कब्जा हो निवास कर रहा है, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रतिवादी खातेदार हो गया है। अंत में निवेदन किया की प्रतिवादी के पक्ष में एवं वादी के विरूद्ध निम्न आशय की घोषणा की डिक्री जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी को विवादित परिसर का 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। प्रतिवादी के पक्ष में एवं वादी के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित भूमि पर काबिज हिस्से अनुसार प्रतिवादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, निवास करने देवें, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, रहन बैह आदि द्वारा हस्तान्तरित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:45 IST
Reason: SelfAttested

नहीं करे, न ही ताकत के बल पर जबरन कब्जा करे, न प्रतिवादी को बेदखल करे न उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से करावें।

5. प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया मौजा बोयणा पटवार हल्का बोयणा की आराजी नम्बर 1002 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि का वादी कब्जे एवं हिस्से अनुसार बंटवारा कराये जाने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराये जाने का अधिकारी है।

..... जिम्मे वादी

2. आया वादग्रस्त आराजीयात के 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी मानसिंह का विगत 20 वर्षो से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है जिस पर वह मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है। अतः प्रतिवादी प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार हो गया है। जिसका वह घोषणा कराने का अधिकारी है।

..... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

6. प्रकरण में साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत गवाह पी.डब्ल्यू 1 श्री रामसिंह पिता भैरूसिंह, गवाह पी.डब्ल्यू. 2 श्री रामसिंह पिता खुमाण सिंह प्रस्तुत किए गए। गवाह पी.डब्ल्यू 1 से जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा की गई। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 का निधन हो जाने से पत्रावली वारिस कायमी पर नियत की गई। परन्तु वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 की वारिस कायमी नही करवाई गई एवं दिनांक 24.03.2021 को अधिवक्ता वादी एवं स्वयं वादी अनुपस्थित रहने से वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। पत्रावली को साक्ष्यप्रतिवादी पर नियत किया गया। साक्ष्यप्रतिवादी गवाह डी.डब्ल्यू 1 मानसिंह पिता लक्ष्मणसिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज प्रदर्श करवाए गए। अधिवक्ता प्रतिवादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

7. हमने अधिवक्ता प्रतिवादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

1. आया मौजा बोयणा पटवार हल्का बोयणा की आराजी नम्बर 1002 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि का वादी कब्जे एवं हिस्से अनुसार बंटवारा कराये जाने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराये जाने का अधिकारी है।

..... जिम्मे वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:45 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी का वाद दिनांक 24.03.2021 को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हो चुका है, ऐसे में स्पष्ट है कि वादी द्वारा उक्त तनकी को साबित कराने का कोई प्रयास नही किया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी पर विवेचन किया जाना न्यायोचित नही है। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध साबित की जाती है।

2. आया वादग्रस्त आराजीयात के 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी मानसिंह का विगत 20 वर्षो से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है जिस पर वह मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है। अतः प्रतिवादी प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार हो गया है। जिसका वह घोषणा कराने का अधिकारी है।

..... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त तनकी को साबित कराने हेतु स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज प्रदर्श करवाए। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त तनकी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के प्रतिवाद के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाना चाहता है, परन्तु **कानून की स्थिति स्पष्ट है कि प्रतिकूल/पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं, केवल धारा 63(1)(4) के तहत् खातेदारी अधिकार समाप्त होने के ही प्रावधान हैं। RRT 2011 पेज 721 के वृहत पीठ के निर्णय अनुसार राजस्व भूमि में लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीनतम न्यायिक निर्देश आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने का प्रावधान हीं नहीं होना वर्णित किया हैं। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने निर्णय आर.आर.डी. 14.06.2014 पेज 352 अनुसार इस प्रकार के प्रावधान नहीं माना है। स्पष्टतया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल दोनों द्वारा प्रतिकूल कब्जे या दीर्घकालीन कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने का स्पष्ट विधिक निर्देश हैं।** उपरोक्त विवेचन, दस्तावेजात एवं नजीरों के आधार पर स्पष्ट है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही दी जा सकती है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध साबित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:45 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त तनकीवार विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी का वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हो चुका है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा देने का कोई प्रावधान नही होने से प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर वाद भी खारिज योग्य पाया जाता है। परन्तु न्यायालय का यह भी अभिमत है कि यदि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा है तो वादी भी प्रतिवादी संख्या 1 को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए मौके से बेदखल नही कर सकता है। यदि वादी प्रतिवादी संख्या 1 को मौके से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बेदखल करने का प्रयास करता है तो मौके पर कानून व्यवस्था भंग हो सकती है। ऐसे में वादी को भी पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर वाद खारिज योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

अतः प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर वाद प्रतिकूल कब्जे के आधार पर होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। साथ ही वादी को पाबंद किया जाता है कि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल करने का प्रयास नही करें।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:45 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री रामसिंह पिता भेरूसिंह जाति राजपुत निवासी बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम्

1. श्री मानसिंह मुतबन्ना लक्ष्मणसिंह जाति राजपुत निवासी बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. मु. गेन्दकुंवर पत्नी स्वर्गीय भेरूसिंह जाति राजपुत निवासी बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर।
3. श्री रूगनाथसिंह पिता झुंझारसिंह जाति राजपुत निवासी बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम एवं काउण्टर वाद

मुकदमा न0 : 234/09 (वाद) GCMS No. : 2009/00162

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर वाद प्रतिकूल कब्जे के आधार पर होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। साथ ही वादी को पाबंद किया जाता है कि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल करने का प्रयास नही करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.08.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:45 IST
Reason: SelfAttested